बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–44/2016 4281 /कृ0, पटना, दिनांक– 4/10/2016

प्रेषक,

रामजी सिंह
सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अन्तर्गत घटक योजना रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट (RAD) हेतु वर्ष 2016–17 में वर्ष 2015–16 के विमुक्त राशि का पुर्नवैधिकरण राशि 416.6666 (250.00 केन्द्रांश एवं 166.6666 राज्यांश) एवं वर्ष 2016–17 में 500.00 (300 केन्द्रांश 200 राज्यांश) अर्थात् कुल 916.6666 लाख (नौ करोड़ सोलह लाख छियासठ हजार छः सौ साठ) रूपये (केन्द्रांश 550.00 एवं राज्यांश 366.6666) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल अनूसूचित जनजाति वर्ग के लिए 11.6667 लाख (ग्यारह लाख छियासठ हजार छः सौ सत्तर) रूपये (केन्द्रांश 7.00 एवं राज्यांश 4.6667 लाख रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

निदेशानुसार, राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अन्तर्गत घटक योजना रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट (RAD) हेतु वर्ष 2016–17 में वर्ष 2015–16 के विमुक्त राशि का पुर्नवैधिकरण राशि 416.6666 (250.00 केन्द्रांश एवं 166.6666 राज्यांश) एवं वर्ष 2016–17 में 500.00 (300 केन्द्रांश 200 राज्यांश) अर्थात् कुल 916.6666 लाख (नौ करोड़ सोलह लाख छियासठ हजार छः सौ साठ) रूपये (केन्द्रांश 550.00 एवं राज्यांश 366.6666) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल अनूसूचित जनजाति वर्ग के लिए 11.6667 लाख (ग्यारह लाख छियासठ हजार छः सौ सत्तर) रूपये (केन्द्रांश 7.00 एवं राज्यांश 4.6667 लाख रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. वर्ष 2016–17 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश एवं राज्यांश के अनुरूप है। रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के उपयुक्त कृषि प्रणाली को समेकित रूप में कार्यान्वित किया जाएगा । फसल उत्पादन के अतिरिक्त उद्यान तथा फसल–वानिकी आधारित कार्यक्रम अपनाये जायेगें।

3. राज्यादेश केन्द्रांश की विमुक्ति की प्रत्याशा में निर्गत किया जा रहा है तथा केन्द्र से अनुकूल राशि की विमुक्ति के पश्चात राशि की निकासी की जायेगी।

4. योजना का कार्यान्वयन कलस्टर में किया जाएगा । विभिन्न प्रकार के फसल प्रणाली के लिए न्यूनतम 100 हे० का कलस्टर चयन किया जाएगा।

- उद्यान आधारित कृषि प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 25 हजार रूपये का अनुदान देय होगा, कृषि–वानिकी आधारित कृषि प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार एवं फसल आधारित कृषि प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 10 रूपये हजार रूपये प्रति हेक्टयर की दर से अनुदान देय होगा।
- एक लाभार्थी को अधिकतम दो हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जा सकेगा।

E:\ABHINAV\2016-17\Rainfed Area (NMSA)\RAD Joint Sanlekh 2015-16 & 2016-17 (916.6666).doc

5. कुल उद्व्यय राशि का 50 प्रतिशत राशि लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए व्यय किया जाएगा। कम से कम 30 प्रतिशत लाभार्थी महिला होगी ।

6. राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (रेनफड एरिया डेवलपमेन्ट) का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा संसूचित मार्गदर्शिका एवं इसमें समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

7. भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा प्राप्त निदेश के अनुरूप राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति योजना की स्वीकृति, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण करेगी। राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालयों सहित प्रमुख संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की योजना में आवश्यक तकनिकी सहयोग एवं परामर्श के लिए स्टैंडिग कमिटी कृषि निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करेगी। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला मिशन समिति (डी0एम0सी0) परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण का कार्य करेगी। जिला स्तर पर योजना का कार्यान्वयन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा सहायक निदेशक उद्यान योजना कार्यान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

8. प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत वित्तीय अधिसीमा के अधीन आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उद्व्यय में वृद्वि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशानिर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकेगा।

9. योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 की पुनवैधिकृत राशि से वर्ष 2016–17 में योजना कार्यान्वयन हेतु वार्षिक कार्य योजना अनुसूची–01 एवं वर्ष 2016–17 के लिए स्वीकृत कुल 11 क्लस्टर हेतु 500.00 लाख रूपये की वार्षिक कार्य योजना अनुसूची–1 (क) के रूप में संलग्न है।

10. योजनान्तर्गत स्वीकृत केन्दांश की राशि 7.00 लाख (सात लाख) रूपये की निकासी मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग सं०–01, उपशीर्ष 0258–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, 3106 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड P2401007960258, पी०एफ०एम०एस०कोड–9142 में वर्ष 2016–17 में उपबंधित 82.56 लाख रूपये में से विकलनीय होगा।

योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि राज्यांश की राशि 4.6667 लाख (चार लाख छियासठ हजार छः सौ सत्तर) रूपये की निकासी मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग सं०–01, उपशीर्ष 0358–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, 3106 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड P2401007960358, पी०एफ०एम०एस०कोड– 9142 में वर्ष 2016–17 में उपबंधित 55.04 लाख रूपये में से विकलनीय होगा।

11. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति दिनांक 09.08.2016 को प्राप्त है। तत्संबंधी बैठक की कार्यवाही संचिका संख्या–पी०पी०एम०–44/2016 के पृ0सं0– 97–98/प0 पर रक्षित है तथा माननीय कृषि मंत्री का अनुमोदन 17/टि० पर प्राप्त है।

12. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– पी0पी0एम0–44/2016 के पृ0सं0–22/टि0 पर दिनांकः 28.09.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रामजी सिंह)
सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–44/2016– 4281 /कृ0, पटना दिनांक– 4/10/2016

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–44/2016– 4281 /कृ0, पटना दिनांक– 4/10/2016

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–44/2016– 4281 /कृ0, पटना दिनांक– 4/10/2016

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–44/2016– 4281 /कृ0, पटना दिनांक– 4/10/2016

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/ कृषि निदेशक/निदेशक, पी0पी0एम0/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त कृषि निदेशक (पाट), पूर्णिया/बजट/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक/सभी उप कृषि निदेशक, प्रक्षेत्र/योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को (विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–01

2015–16 की पुनर्वैधिकृत (Back Log) राशि से 2016–17 में योजना कार्यान्वयन हेतु वार्षिक कार्य योजना

	निकासी पदाधिकारी का नाम	कलस्टर की संख्या	समेकित कृषि प्रणाली			वित्तीय (लाख में)	मुल्य संवर्धन (लाख में)	आकस्मिकता	कुल वित्तीय (लाख में)	केन्द्रांश				राज्यांश			
			फसल आधारित (हे० में)	उद्यान आधारित (हे०)	कृषि वानिकी (हे०)					सामान्य	अनु०जाति	अनु०जन० जाति	कुल	सामान्य	अनु०जाति	अनु०जन० जाति	कुल
1	जि०कृ०पदा०, शेखपुरा	1	60	40	0	19.00	12.15	0.3115	31.4615	15.7811	2.7938	0.3020	**18.8769**	10.5207	1.8625	0.2014	**12.5846**
2	जि०कृ०पदा०, मुंगेर	1	40	60	0	21.00	24.11	0.4511	45.5611	22.8534	4.0458	0.4374	**27.3367**	15.2356	2.6972	0.2916	**18.2244**
3	जि०कृ०पदा०, नालन्दा	1	75	25	0	17.50	24.85	0.4235	42.7735	21.4552	3.7983	0.4106	**25.6641**	14.3035	2.5322	0.2738	**17.1094**
4	जि०कृ०पदा०, नवादा	1	0	100	0	25.00	35.38	0.6038	60.9838	30.5895	5.4154	0.5854	**36.5903**	20.3930	3.6102	0.3903	**24.3935**
5	जि०कृ०पदा०, रोहतास	1	83	15	2	16.50	26.33	0.4283	43.2583	21.6984	3.8413	0.4153	**25.9550**	14.4656	2.5609	0.2769	**17.3033**
6	जि०कृ०पदा०, बाँका	1	80	10	10	16.00	20.35	0.3635	36.7135	18.4155	3.2602	0.3524	**22.0281**	12.2770	2.1734	0.2350	**14.6854**
7	जि०कृ०पदा०, पटना	1	0	100	0	25.00	30.35	0.5535	55.9035	28.0412	4.9642	0.5367	**33.5421**	18.6941	3.3095	0.3578	**22.3614**
8	जि०कृ०पदा०, जमुई	1	30	60	0	19.50	20.38	0.3988	40.2788	20.2038	3.5768	0.3867	**24.1673**	13.4692	2.3845	0.2578	**16.1115**
9	जि०कृ०पदा०, गया	1	50	50	0	20.00	39.14	0.5926	59.7326	29.9619	5.3043	0.5734	**35.8396**	19.9746	3.5362	0.3823	**23.8930**
	कुल :–	9	418	460	12	179.50	233.04	4.1266	416.6666	**209.000**	**37.000**	**4.0000**	**250.0000**	**139.3333**	**24.6667**	**2.6667**	**166.6666**

(Ram Prakash Sahani)
Officer incharge NMSA Cell
-cum- Joint Director (Chemist),
Soil Testing Laboratory, Bihar, Patna

अनुसूची–01 (क)

हेतु 2016–17 के लिए स्वीकृत कुल 11 कलस्टर हेतु 500.00 लाख रूपये की वार्षिक कार्य योजना

क्र०सं०	निकासी पदाधिकारी का नाम	कलस्टर की संख्या	समेकित कृषि प्रणाली			वित्तीय (लाख में)	मुल्य संवर्धन (लाख में)	आकस्मिकता	कुल वित्तीय (लाख में)	केन्द्रांश				राज्यांश			
			फसल आधारित (हें० में)	उद्यान आधारित (हें०)	कृषि वानिकी (हें०)					सामान्य	अनु०जाति	अनु०जन० जाति	कुल	सामान्य	अनु०जाति	अनु०जन० जाति	कुल
1	जि०कृ०पदा०, शेखपुरा	1	60	40	0	19.00	14.65	0.3365	33.9865	16.9253	3.2627	0.2039	20.3919	11.2835	2.1751	0.1359	13.5946
2	जि०कृ०पदा०, मुंगेर	1	40	60	0	21.00	19.36	0.4036	40.7636	20.3003	3.9133	0.2446	24.4582	13.5335	2.6089	0.1631	16.3054
3	जि०कृ०पदा०, नालन्दा	1	75	25	0	17.50	26.35	0.4385	44.2885	22.0557	4.2517	0.2657	26.5731	14.7038	2.8345	0.1772	17.7154
4	जि०कृ०पदा०, नवादा	1	0	100	0	25.00	36.08	0.6108	61.6908	30.7220	5.9223	0.3701	37.0145	20.4813	3.9482	0.2468	24.6763
5	जि०कृ०पदा०, रोहतास	1	83	15	2	16.50	28.06	0.4456	45.0056	22.4128	4.3205	0.2700	27.0034	14.9419	2.8804	0.1800	18.0022
6	जि०कृ०पदा०, औरंगाबाद	1	60	35	5	18.50	22.8	0.413	41.713	20.7731	4.0044	0.2503	25.0278	13.8487	2.6696	0.1669	16.6852
7	जि०कृ०पदा०, पटना	1	0	100	0	25.00	29.25	0.5425	54.7925	27.2867	5.2601	0.3288	32.8755	18.1911	3.5067	0.2192	21.9170
8	जि०कृ०पदा०, जमुई	1	30	60	0	19.50	20.38	0.3988	40.2788	20.0588	3.8668	0.2417	24.1673	13.3726	2.5778	0.1611	16.1115
9	जि०कृ०पदा०, जहानाबाद	1	100	0	0	15.00	14.4	0.294	29.694	14.7876	2.8506	0.1782	17.8164	9.8584	1.9004	0.1188	11.8776
10	जि०कृ०पदा०, लखीसराय	1	85	15	0	16.50	34.79	0.5129	51.8029	25.7978	4.9731	0.3108	31.0817	17.1986	3.3154	0.2072	20.7212
11	जि०कृ०पदा०, गया	1	50	50	0	20.00	35.39	0.5939	55.9839	27.8800	5.3745	0.3359	33.5903	18.5867	3.5830	0.2239	22.3936
	कुल :–	11	583	500	7	213.50	281.51	4.99	500.00	249.0000	48.0000	3.0000	300.000	166.0000	32.0000	2.0000	200.000

(Ram Prakash Sahani)
Officer incharge NMSA Cell
-cum- Joint Director (Chemist),
Soil Testing Laboratory, Bihar, Patna